ANKIT
Page No. ________
Date ________

R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part - IInd
Paper 1st Family Law
Muslim Law

वस्तुतः संरक्षक :—

वस्तुतः संरक्षक अवयस्क के अतीव आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और शिक्षा के लिए आवश्यक वस्तु अवयस्क के चल सम्पत्ति का विक्रय और बंधक कर सकता है किन्तु उसे अवयस्क के अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अधिकार का अंतरण करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। वस्तुतः संरक्षक द्वारा किया गया अचल सम्पत्ति का अंतरण शून्यकरणीय न होकर शून्य होता है। यदि अंतरिती को सम्पत्ति पर काबिज भी करा दिया जाय तो जहाँ तक अवयस्क के भाग का प्रश्न है, उसकी स्थिति अतिक्रमणी से अच्छी नहीं है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध वाद है :-

इमाम बान्दी बनाम मुत्सद्दी
इस्माइल अली खाँ

एक बंगाली सुन्नी मुस्लिम जो। वह अत्यधिक धन सम्पत्ति छोड़कर 1906 ई० में मर गया। वह अपने पीछे तीन विधवायें और कई बच्चे

(2)

को छोड़ गया। विधवा जोहरा से दो बच्चे थे एक वयस्क पुत्र और एक अवयस्क पुत्री। 10 जून 1906 ई० को जोहरा ने 10,000, रुपये में अपने अंश और अपने दोनों अवयस्क बच्चों के अंशों का अंतरण मुस्तदी के पक्ष में कर दिया। विक्रय पत्र का निष्पादन जोहरा ने अपनी ओर से तथा अपने दोनों अवयस्क बच्चों की संरक्षिका की हैसियत से किया, हालांकि संरक्षक एवं संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जोहरा बच्चों की संरक्षिका नियुक्त नहीं की गई थी। राजस्व कागजात में दाखिल खारिज के लिए मुस्तदी ने प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र का विरोध इस्माइल अली खाँ की अन्य विधवाओं अ और ब एवं उनके बच्चों ने किया। अतएव अन्तरिती मुस्तदी ने एक घोषणात्मक वाद इस घोषणा के लिए दायर किया कि जोहरा इस्माइल अली खाँ की विवाहिता पत्नि थी और उसके बच्चे इस्माइल अली खाँ धर्मज बच्चे, और यह कि जोहरा अपनी ओर से और अपनी बच्चों की ओर से संपत्ति का विधितः अंतरण कर सकती है।

दोनों विधवाओं एवं और उनके बच्चों की ओर से यह तर्क किया गया कि जोहरा मृतक की विवाहिता पत्नि नहीं थी और उसके बच्चे मृतक के धर्मज संतान नहीं थे। और यदि धर्मज संतान थे भी तो जोहरा द्वारा किया गया अंतरण शून्य था।

प्रिवी कौंसिल ने निर्णित किया

कि जोहरा इस्माइल अली खाँ की विवाहिता पत्नि थी और उससे उत्पन्न बच्चे इस्माइल अली खाँ के वैध बच्चे थे और वे तीनों मृतक की सम्पत्ति को उत्तराधिकार में पाने के हकदार थे किंतु माता अवयस्क बच्चों के विधिक संरक्षिका नहीं थी अतएव वह उन बच्चों के अंशों का अंतरण करने में सक्षम नहीं थी। न्यायालय ने कहा—

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत माता को अवयस्क बच्चों के शरीर की ही अभिरक्षा का अधिकार एक अवस्था तक होता है। किन्तु यह अवयस्क बच्चों की नैसर्गिक संरक्षिका नहीं होती है। बच्चा जिस किसी बाहरी व्यक्ति या गैर नातेदार की देख रेख में रहता है और उसे जितना अवयस्क की संपत्ति से संव्यवहार का अधिकार होता है, उससे अधिक अधिकार बच्चे की संपत्ति के सिल-सिले में माता को नहीं होता है।"

जब पिता द्वारा नियुक्त निष्पादिका माता होती है, या जब न्यायालय द्वारा अवयस्क बच्चों की संरक्षिका वह नियुक्त होती है तो उसे विधिक संरक्षक के सभी अधिकार होते हैं, वरन् ऐसी माता के अभाव में यदि वह अवयस्क की किसी भी सम्पत्ति का लेन देन या अन्तरण करती है तो वह अपनी जिम्मेदारी पर करती है और उसके कार्य उस तरह के

होते हैं जैसे कि बिना किसी विधिक अधिकार के किसी आदमी व्यक्ति द्वारा किया गया है। वह अपने ऊपर दायित्व ले सकती है किंतु अवयस्कों पर दायित्व नहीं डाल सकती।

मुस्लिम विधि के अंतर्गत विधिक संरक्षक के न होते हुए भी जो कोई व्यक्ति किसी अवयस्क के शरीर या सम्पत्ति का देखरेख करता है और जिसे वस्तुतः संरक्षक कहा जा सकता है उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अवयस्क की अचल सम्पत्ति का या उसके किसी सम्पत्ति-अधिकार को अंतरित करे है और अंतरणी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उसे लागू करा सके और न ही ऐसा अंतरणी जिसे ऐसे अनधिकृत अंतरण के अंतर्गत कब्जा दे दिया गया है, अवयस्क की ओर से अतिक्रमणी के विरुद्ध दायर किए गए बेदखली की कार्यवाही में कोई प्रतिवाद कर सकता है। इससे यह अनुसरित होता है कि यदि सम्पत्ति किसी अन्य अनधिकृत व्यक्ति के कब्जे में है तो भी अंतरणी किसी प्रकार का हक न होने के कारण संपत्ति के कब्जा प्राप्ति की कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है।

अवयस्क की ओर से माता द्वारा किया गया बंधक भी शून्य होता है।

चूँकि अवयस्क के अचल संपत्ति का वस्तुतः संरक्षक द्वारा किया गया विक्रय शून्य है, न कि शून्य करणीय अतएव वयस्कता प्राप्ति के पश्चात् ऐसे अंतरण के अनुसमर्थन का प्रश्न नहीं उठता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।